

अध्याय-3

अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्र निर्माण के अनुपालन लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटियों और नियमन, औचित्य एवं मितव्ययिता के नियमों के पालन में हुई विफलता के बहुत से उदाहरण पाये गये। इनको अनुवर्ती कंडिकाओं के अन्तर्गत विस्तृत उद्देश्य शीर्षों में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों, आदेशों आदि का अनुपालन नहीं

सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय नियमों, विनियमों और आदेशों के तहत व्यय किया जाता हो। यह न तो केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग एवं धोखेबाजी को रोकता है वरन् अच्छे वित्तीय अनुशासन के संधारण में भी मदद करता है। नियमों की अवहेलना पर कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

पथ निर्माण विभाग

3.1.1 उपकरण अग्रिम का अनियमित भुगतान

₹ 4.90 करोड़ के उपकरण अग्रिम का अनियमित भुगतान

स्टेपडर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट¹ (एस.बी.डी.) के संविदा² के उपवाक्य 51.1 के अनुसार नियोजक द्वारा ठेकेदार को संविदा आँकड़े³ में वर्णित राशि तथा तिथि तक, ठेकेदार द्वारा अग्रिम राशि के बराबर बिना शर्त बैंक गारंटी (प्रत्याभूति) प्रबंध के विरुद्ध अग्रिम भुगतान करेगा। ऐसे अग्रिम पर ब्याज भी प्रभारित नहीं था। संविदा आँकड़े की कंडिका 32 के अनुसार नए उपकरण के मूल्य का 90 प्रतिशत तथा पुराने उपकरण के हासित मूल्य का 50 प्रतिशत तथा कुल अधिकतम संविदा राशि के पाँच प्रतिशत तक उपकरण अग्रिम दिया जाना था। पुनः संविदा के उपवाक्य 51.2 के अनुसार ठेकेदार द्वारा उक्त अग्रिम की राशि का उपयोग केवल कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विशेष रूप से आवश्यक उपकरण, संयंत्र और संघटन व्यय के लिए किया जाना था। ठेकेदार आपूर्ति बीजक या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि निर्गत कर प्रमाण देगा कि अग्रिम भुगतान का उपयोग उसी प्रकार किया गया है।

¹ एस.बी.डी. एक बीडिंग डॉक्यूमेंट है जो पथ निर्माण विभाग द्वारा ₹ 2.5 करोड़ से अधिक की लागत वाले परियोजना के लिए अंगीकृत किया गया है।

² एस.बी.डी. के खण्ड 3 अर्थात् “संविदा की शर्तें” में नियोक्ता एवं ठेकेदारों पर लागू होने वाले संविदा के सामान्य और विशेष शर्तें सम्मिलित हैं।

³ एस.बी.डी. के खण्ड-4 अर्थात् “संविदा आँकड़े” संविदा की शर्तों के अनुसार लागू होने वाले विभिन्न प्राधिकारों, मौद्रिक सीमाएँ तथा समय अनुसूचियों को परिभाषित करते हैं।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2012) में हमने पाया कि पथ निर्माण विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा चार पथ कार्यों⁴ हेतु ₹ 235.03 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया (दिसम्बर 2006 और अगस्त 2007)। कार्य का आवंटन मार्च 2007 और फरवरी 2009 के बीच किया गया था तथा ₹ 268.48 करोड़ की लागत पर अप्रैल 2010 से मार्च 2012 के बीच सम्पन्न किया गया।

हमने ने पाया कि ठेकेदारों को जून 2007 और मार्च 2009 के बीच उपकरण अग्रिम के रूप में ₹ 4.90 करोड़ का भुगतान ऐसे उपकरण के विरुद्ध किया गया जो वस्तुतः ठेकेदारों के पास पहले से थे अर्थात् इन कार्यों के लिए अनुबंध होने के पहले से मौजूद थे। ऐसे उपकरण जो ठेकेदारों के पास पूर्व में ही मौजूद थे, के विरुद्ध उपकरण अग्रिम का भुगतान अनियमित था, क्योंकि अग्रिम का उपयोग कार्य के कार्यान्वयन के लिए विशेष आवश्यक उपकरण संयंत्र ओर संघटन व्यय के लिए नहीं किया गया, जैसा कि संविदा की शर्तों के उपवाक्य 51.2 के अन्तर्गत आवश्यक था।

उत्तर में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि स्टेप्डर्ड बीडिंग डॉक्यूमेंट (एस.बी.डी.) के उपवाक्य 51 में वर्णित प्रावधान जैसा कि संविदा की शर्त एवं उपवाक्य 32 में वर्णित संविदा ऑकड़े के अनुसार उपकरण अग्रिम का भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि ठेकेदारों द्वारा उपकरण अग्रिम का उपयोग उपकरण क्रय के लिए नहीं किया गया था, जबकि जिस उपकरण के लिए अग्रिम का दावा किया गया तथा भुगतान लिया गया वे उपकरण ठेकेदारों के पास पूर्व से ही मौजूद थे ओर अनुबंध होने से पूर्व ही क्रय किए गए थे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2013); विभिन्न स्मारपत्रों⁵ के बावजूद उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2014)।

⁴ मझगांव से नोआमुण्डी द्वारा खेरपाल पथ (एम-एन-के पथ) (00 कि.मी. से 56.50 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सैदल-छोटानागरा-सलाई पथ (एस-सी-एस पथ) (00 कि.मी. से 22.80 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, सलाई-मनोहरपुर पथ (एस-एम पथ) (00 कि.मी. से 22 कि.मी.) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा हाटगंहरिया-जगन्नाथपुर-नोआमुण्डी-बड़ाजामदा-बड़ाइबुड़ा पथ (एच-जे-एन-बी पथ) (00 कि.मी. से 44.80 कि.मी.) का पुनर्निर्माण।

⁵ स्मार पत्र सं.- रिपोर्ट(सिविल)/ए.आर./2012-13/91 दिनांक 19 जुलाई 2013, सं. 135 दिनांक 28 अगस्त 2013 तथा 234 दिनांक 4 अक्टूबर 2013।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1.2 परिहार्य व्यय

तकनीकी रूप से अनुमोदित कम मूल्य के चिकित्सीय उपकरण को नजरअंदाज कर तथा औचित्य अंकित किए बिना उच्च मूल्य के चिकित्सीय उपकरण खरीद के परिणामस्वरूप ₹ 92.36 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

कैबिनेट (निगरानी) विभाग, झारखंड सरकार के पत्रांक नि.बि. 01-17(त.प.को.) 2005/99 दिनांक 13 फरवरी 2010 एवं वित्त विभाग के पत्रांक वित्त-4-96/2001/4940/वि. दिनांक 31 जुलाई 2002 के अनुसार सामग्री तथा सेवा की आपूर्ति दोहरी निविदा प्रणाली के तहत की जा सकती है जिसके अनुसार तकनीकी निविदा प्रथम स्तर पर क्रय विभाग द्वारा खोली जाती है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है। द्वितीय स्तर पर केवल तकनीकी रूप से अहर्ता प्राप्त निविदा दाताओं की ही निविदा अग्रेतर मूल्यांकन तथा संविदा प्रदान के लिए खोली जाती है। आगे, झारखंड वित्त नियम⁶ के नियम 129 के अनुसार क्रय, लोक सेवा के निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार कम खर्च के आधार पर, ही की जानी चाहिए।

राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (आर.आई.एम.एस.) के अभिलेखों के जाँच (मई 2013) के दौरान हमने पाया कि संस्थान ने चिकित्सीय उपकरणों (न्यूरोसर्जिकल आपरेशन, माइक्रोस्कोप न्यूरोसर्जिकल हाई स्पीड न्यूमैटिक ड्रील सिस्टम तथा डायथर्मी की आपूर्ति हेतु निविदा (15 जुलाई 2011), दोहरी निविदा पद्धति के तहत इस शर्त के साथ आमंत्रित किया कि तकनीकी रूप से सफल संवेदक जिनका उपकरण अपेक्षित गुणवत्ता वाला होगा उन्हों की बोली (मूल्य निविदा) पर विचार किया जाएगा। रिम्स के क्रय समिति ने तकनीकी निविदा खोला (26 अगस्त 2011) तथा प्राप्त तकनीकी निविदा के मूल्यांकन हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.) के गठन का निश्चय किया।

निदेशक, रिम्स ने तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति का गठन, 11 अक्टूबर 2011 को किया। तकनीकी मूल्यांकन समिति ने 25 जनवरी 2012 को योग्य उपकरण की स्वीकृति देते हुए अपना मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशक रिम्स को प्रस्तुत किया। समिति ने कुछ उपकरणों जो उच्च गुणवत्ता वाले थे को “क्यू-1” के रूप में भी चिन्हित किया। हमने लेखापरीक्षा में पाया कि समिति द्वारा क्यू-1 रूप में चिन्हित करने का कारण कहीं भी अभिलिखित नहीं था।

⁶ बिहार वित्तीय नियमावली, झारखंड सरकार द्वारा अंगीकृत।

तकनीकी रूप से स्वीकृत संवेदकों की वित्तीय निविदा 31 जनवरी 2012 को खोली गई। रिम्स के क्रय समिति ने अनुशंसा (मार्च, 2012) किया कि तकनीकी मुल्यांकन समिति द्वारा चिन्हित उच्च गुणवत्ता (क्यू-1) वाले उपकरण सबसे कम मूल्य वाले नहीं थे तथा अनुशंसाओं को रिम्स के शासी निकाय, चेयरमैन के समक्ष निर्देश हेतु प्रस्तुत (14 मार्च 2012) किया गया। चेयरमैन ने एन.आई.टी. के शर्तों, तकनीकी मूल्यांकन समिति के अनुशंसाओं, वित्त तथा अन्य विभागों को दिशा निर्देशों तथा सर्कुलर के आधार पर उच्च मूल्य के उपकरण खरीदने का निर्देश दिया। क्रय समिति ने उच्च गुणवत्ता (क्यू-1) वाले उपकरण खरीदने की स्वीकृति दी जो कम मूल्य के नहीं थे यद्यपि कम मूल्य वाले उपकरण भी तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत थे। परिणामस्वरूप रिम्स को ₹ 92.36 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा जिसका विवरण निम्न है:

(₹ लाख में)						
क्र.सं	उपकरण के नाम	तकनीकी रूप से अनुमोदित संवेदक	लगाए गए दाम	क्रय समिति की अनुमोदित	मात्रा खरीद में (स.)	परिहार्य व्यय (अनुमोदित दर - सबसे कम दर)
1.	न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन माइक्रोस्कोप	1. इंडियन ईस्ट्रमेन्ट्स मैन्युफैक्चरिंग क.	170.00	अनुमोदित	1	50.00
		2. सिम्ड ओवरसीज इन्क.	120.00	सबसे कम-I		
2.	न्यूरोसर्जिकल हाई स्पीड न्यूमैटिक ड्रील सिस्टम	1. कैलाश सर्जिकल्स	30.07			
		2. मेडिलैब	50.68	अनुमोदित	1	39.34
		3. सिम्ड ओवरसीज इन्क	34.93			
		4. श्री यश	11.34	सबसे कम-I		
3.	डायथर्म मशीन	1. मेडिलैब	25.00			
		2. सिम्ड ओवरसीज	7.49	सबसे कम-I		
		3. विशाल सर्जिकल	9.00	अनुमोदित	2	3.02
कुल परिहार्य व्यय						92.36

इस प्रकार, तकनीकी रूप से स्वीकृत कम मूल्य के उपकरण की जगह उच्च मूल्य के उपकरण की खरीद के कारण राज्य के राजकोष को ₹ 92.36 लाख के परिहार्य व्यय का वहन करना पड़ा तथा झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 129 का उल्लंघन हुआ।

उल्लेख (मई 2013) किए जाने के पश्चात् सरकार ने जवाब दिया (जून 2013) कि क्रय समिति ने क्रय की स्वीकृति इसी दिशानिर्देशों के आधार पर दिया ताकि गुणवत्तापूर्ण उपकरण प्रतिष्ठित कंपनी से आपूर्ति किये जाये तथा मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण सह चेयरमैन, शासी निकाय के अनुमोदन के अनुरूप क्रय की गयी।

जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि निविदा की शर्तों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण को प्रधानता दी जाएगी तथा गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग की जाएगी। यदि तकनीकी अर्हता हेतु निविदा की शर्तों में कुछ गुणवत्ता मापदंड आवश्यक थे तो उन्हें निविदा की शर्तों में भी जोड़ दिये जाने चाहिए थे। अगर उच्च गुणवत्ता वाले (क्यू-1) को ही निविदा प्रदान की जानी थी तो दूसरे संवेदकों की मूल्य निविदा खोले जाने और तकनीकी रूप से स्वीकृत किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, उच्च गुणवत्ता निर्धारित करने का आधार भी तकनीकी मूल्यांकन समिति के सारांश में अभिलिखित नहीं था। इस प्रकार तकनीकी रूप से स्वीकृत संवेदकों की मूल्य निविदा खोले जाने के पश्चात् सबसे कम मूल्य वाली निविदा को स्वीकृत किया जाना चाहिए था।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.1.3 वित्तीय अनियमितताएँ

रोकड़ का अनुचित प्रबंधन और वित्तीय नियमों का अनुसरण नहीं होने के कारण ₹ 1.14 करोड़ की प्राप्ति का लेखाकरण नहीं हुआ, ₹ 44.58 लाख की अनाधिकृत वापसी हुई तथा ₹ 4.06 लाख जमा नहीं हुआ।

राजेन्द्र आर्युविज्ञान संस्थान, (रिम्स), राँची, झारखण्ड राज्य का एक स्वायत्त संस्था है। रिम्स अधिनियम 2002 की धारा 6 (XV), शुल्क की माँग और वसूली करने तथा अन्य विविध शुल्कों की वसूली का अधिकार देती है तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गये विनियमों तथा नियमों के अनुसार रिम्स के रखरखाव और विकास के लिए संस्थान इसका उपयोग करती है।

रिम्स अधिनियम की धारा 6 (XXIV)⁷ के अनुसार रिम्स ने पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच हेतु नकद काउन्टर के संचालन का कार्य एक बाहरी अभिकर्ता को इस शर्त के साथ दिया (12 जनवरी 2006) कि अभिकर्ता रोजाना नकद वसूली की राशि रिम्स के रोकड़पाल को जमा करेगा।

2010-13 की अवधि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं व्यय अभिलेख (अप्रैल-मई 2012 एवं अप्रैल- जून 2013) के जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ उजागर हुए:

⁷ प्रावधान यह दर्शाता है कि यदि आवश्यक हो तो अनुषांगिक सेवायें वाह्य अभिकर्ता द्वारा दी जाएगी, परन्तु बुनियादी सेवायें वाह्य स्रोतों से नहीं करायी जा सकती।

(1) **₹ 1.14 करोड़ के नकद प्राप्ति का रोकड़ पंजी में लेखाकारण नहीं किया जाना**

झारखण्ड कोषागार नियम⁸ 86 के अनुसार सरकार की ओर से प्राप्त राशि के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा एक रोकड़ पंजी संधारित किया जाना चाहिए तथा सभी मौद्रिक लेन-देन जैसे ही होता है, रोकड़ पंजी में प्रविष्ट की जानी चाहिए तथा जाँच के प्रमाण में कार्यालय प्रधान द्वारा उसे सत्यापित किया जाना चाहिए। नियम आगे बताता है कि रोकड़ बही नियमित रूप से प्रतिदिन बंद और संतुलित किया जाना चाहिए और पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए। रोकड़ बही के योग को कार्यालय प्रधान या लेखक को छोड़कर अन्य किसी जिम्मेदार अधीनस्थ के द्वारा, सत्यापित की जानी चाहिए। कार्यालय प्रधान द्वारा प्रत्येक माह के अंत में रोकड़ बही के नकद शेष को, सत्यापित किया जाना चाहिए तथा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित प्रमाण-पत्र दर्ज करना चाहिए। झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 98 यह भी बताता है कि जब कभी राजस्व के रूप में प्राप्ति राशि बैंक में जमा करने के बजाय विभागीय भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है, सकल प्राप्तियों और उससे किए गए भुगतान, प्राप्तियों एवं व्यय के रूप में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

रिम्स के अभिलेखों और अंगीकृत प्रचलन की जाँच से पता चला कि बाहरी अभिकर्ता से प्राप्त कुल राशि में से कनीय रोकड़पाल ने मुख्य रोकड़पाल को रिम्स के बैंक खाते में एक निश्चित राशि जमा करने हेतु दिया तथा खर्च हेतु रिम्स के अधिकारियों/कर्मचारियों को अग्रिम भी प्रदान किया। कनीय रोकड़पाल ने प्राप्तियों और अग्रिमों हेतु अलग-अलग पंजियाँ रखीं।

कनीय रोकड़पाल द्वारा संधारित पंजियों के जाँच से पता चला कि प्राप्ति पंजी एक खुले स्वरूप का पंजी था और अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के दौरान पंजी को न तो कभी बंद किया गया, न संतुलित किया गया और न तो कभी कनीय रोकड़पाल के अत्तावा किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। अग्रिमों का समायोजन सीधे व्यक्तिगत प्रविष्टि के विरुद्ध प्रविष्ट किया गया जिसे भी कभी बंद और संतुलित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर (मई 2013) रिम्स प्राधिकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 के प्रारम्भिक शेष के बिना प्राप्तियों एवं व्यय का विस्तृत विवरणी समर्पित किया गया (6 जून 2013)। विवरणी के अनुसार अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के बीच कनीय रोकड़पाल ने राजस्व के रूप में ₹ 9.90 करोड़ प्राप्त की थी, जिसमें से ₹ 8.55 करोड़ मुख्य रोकड़पाल के पास जमा किया गया था तथा उसे मुख्य रोकड़पाल के रोकड़बही में रेखांकित किया गया। शेष ₹ 1.35 करोड़ के संबंध में,

⁸ वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 06/एफ. दिनांक 15 नवंबर 2000 के द्वारा बिहार कोषागार संहिता को अंगीकृत किया गया।

₹ 39.43 लाख के अग्रिम का तिथिवार विवरणी समर्पित किया गया (जिसमें से ₹ 33.55 लाख समायोजित दिखाया गया किन्तु लेखा परीक्षा को अभिश्रव उपस्थापित नहीं किया गया) और ₹ 20.80 लाख, (6 जून 2013 को समापन शेष में निकाला गया) को लेखा परीक्षा आपत्ति दिनांक 13 जून 2013 के अनुपालन में 17 जून 2013 को रिम्स के बैंक खाते में जमा कर दिया गया। शेष ₹ 75.34 लाख के संबंध में रिम्स ने व्यय का सार समर्पित किया परन्तु कनीय रोकड़पाल द्वारा किए गए खर्च के विरुद्ध तिथिवार व्यय विवरणी एवं व्यय के समर्थन में अभिश्रव प्रस्तुत करने में विफल रहा।

31 मार्च 2013 को ₹ 75.34 लाख का सार (राशि ₹ में)

कार्यालय व्यय	यात्रा भत्ता	टेलीफोन	मोटर वाहन	औषधि आपूर्ति	आहार	कुल
5047462	708739	305397	1165684	67537	240009	7534828

इस प्रकार शेष ₹ 1.14 करोड़ (₹ 1.35 करोड़- ₹ 0.21 करोड़) और उससे किए गए खर्च के गैर लेखाकरण के कारण झारखण्ड कोषागार संहिता भाग-I के नियम 86 तथा 98 का उल्लंघन हुआ जिससे रिम्स की धनराशि की दुर्विनियोग एवं गबन की संभावना बन सकती है। इसके अलावा, जो विवरणी तैयार की गई उसमें 1 अप्रैल 2010 के प्रारंभिक शेष का लेखांकन नहीं किया गया।

इस बात के इंगित किए जाने पर (जून 2013) रिम्स के निदेशक ने कहा (जून 2013) कि लेखापरीक्षा में आपत्ति के वृष्टांत पर ₹ 20.80 लाख बैंक में जमा कर दिया गया। यद्यपि, वे रोकड़ बही के ठीक से रख-रखाव के अभाव में प्राप्ति के वास्तविक आँकड़े प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं थे।

(ii) ₹ 44.58 लाख का अनाधिकृत वापसी

अभिकर्त्ता द्वारा मरीजों से रेडियोलॉजिकल/ पैथोलॉजिकल जाँच हेतु संग्रहीत शुल्क एवं प्रभार को रिम्स की स्वीकृति के बाद वापस करने योग्य थे अगर संबंधित जाँच नहीं किए गए थे। अभिकर्त्ता द्वारा रिम्स को राजस्व के संग्रहण/वापसी के समर्थन में धन प्राप्ति/ वापसी की रसीद की प्रति जमा करना आवश्यक था।

अभिकर्त्ता द्वारा कनीय रोकड़पाल को जमा किए गए समेकित नकद जमा रसीदों के जाँच में उद्घटित हुआ कि अभिकर्त्ता ने 2012-13 के दौरान मरीजों को वापस किए गए ₹ 54.19 लाख के समायोजन के पश्चात् संग्रहीत राजस्व राशि को जमा किया। यद्यपि रिम्स के वापसी बही से पता चला कि 2012-13 के दौरान केवल ₹ 9.61 लाख की वापसी की स्वीकृति दी गई थी। परिणामस्वरूप मरीजों को ₹ 44.58 लाख की अधिक/अनाधिकृत वापसी की गई।

इस प्रकार, राजस्व वापसी पर नजर रखने हेतु बनाए गए वापसी पंजी के बावजूद अभिकर्त्ता द्वारा किए गए राजस्व वापसी पर प्रथम नियंत्रण रखने में रिम्स असफल रही।

निदेशक ने कहा (जून 2013) कि अभिकर्त्ता को अपने पास रखी गई आधिक्य राशि को जमा करने के लिए कहा गया है हालाँकि वह राशि की वापसी के लिए अधिकृत नहीं था।

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि रिम्स इस प्रकार की अनियमितताओं की जाँच कर सकता था, यदि रिम्स द्वारा संधारित वापसी पंजी से नगद जमा रसीदों का मिलान किया जाता।

(iii) **बाहरी अभिकर्त्ता द्वारा ₹ 4.06 लाख जमा नहीं किया जाना**

अभिकर्त्ता द्वारा कनीय रोकड़पाल को जनवरी से सितम्बर 2011 की अवधि, के लिए समेकित नकद जमा की पर्याय तथा कनीय रोकड़पाल द्वारा अभिकर्त्ता को निर्गत नकद प्राप्ति का प्रतिपर्ण की जाँच से यह उद्घाटित हुआ कि अभिकर्त्ता द्वारा ₹ 4.06 लाख अनियमित रूप से 12 जनवरी 2006 के कार्यादेश का उल्लंघन कर रोके रखा, जबकि अभिकर्त्ता के नकद संग्रहण प्रत्येक दिन रिम्स में जमा करना था।

यह इंगित किये जाने पर निदेशक ने कहा कि अभिकर्त्ता को राशि जमा करने को कहा गया था तथा अभिकर्त्ता के पास रखी गई वास्तविक राशि का पता किया जाएगा (जून 2013)।

(iv) **नकद प्राप्ति प्रतिपर्णों तथा वापसी अभिश्रवों को प्रस्तुत नहीं करना**

अभिकर्ता को नकद प्राप्तियों की प्रतिपर्णों को रिम्स को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी यद्यपि अभिकर्ता ने हमेशा कनीय रोकड़पाल को नकद मूल्य जमा किया करता था तथा मौलिक नकद प्राप्ति रसीदों एवं अभिश्रवों के बदले समेकित नकद जमा पर्याय जमा करता था। इस प्रकार अभिकर्ता द्वारा वास्तविक प्राप्तियों एवं वापसियों का आकलन नहीं किया जा सका।

इस प्रकार झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुसरण न करना एवं दस्तावेजों के पारदर्शी तरीके से गैर रख-रखाव, अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन में परिलक्षित हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2013); विभिन्न स्मारपत्रों⁹ के बावजूद उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी-2014)।

⁹ स्मार पत्र सं.- रिपोर्ट(सिविल)/ए.आर./2012-13/124 दिनांक 19 अगस्त 2013, सं. 219 दिनांक 19 सितम्बर 2013 और संख्या 306 दिनांक 21 अक्टूबर 2013।

ग्रामीण कार्य विभाग

3.1.4 सरकारी निधि की हानि

बैंक गारण्टी जब्त नहीं करने, संवेदक से जुर्माना तथा अधिक भुगतान की वसूली नहीं होने के कारण ₹ 1.09 करोड़ की हानि।

एकरारनामा¹⁰ एफ-2 के शर्त 11 के अनुसार सफल संवेदक करार के स्वीकृत राशि का पाँच प्रतिशत प्रतिभूति के तौर पर जमा करेगा जो संविदा निरस्त होने की स्थिति में जब्त¹¹ कर ली जाएगी। एकरारनामा के खंड-2 के अनुसार अगर कार्य अपूर्ण रहता है तो क्षतिपूर्ति प्रतिदिन स्वीकृत कार्य मूल्य के आधे प्रतिशत के बराबर एवं एकरारनामा के मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित, की कटौती की जायेगी।

लेखों की संवीक्षा (जनवरी 2013) के दौरान पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, ने पहुँच-पथ¹² के साथ पाँच पुलों¹³ का निर्माण कार्य संवेदक को ₹ 11.04 करोड़ की निविदा जिसका निर्माण कार्य दिसम्बर 2004 तक पूर्ण करना था, सौंपा (अगस्त 2003)।

आगे, संवीक्षा में पाया गया कि संवेदक ने ₹ 55.20 लाख की बैंक गारण्टी, जमानत राशि¹⁴ के तौर पर जमा किया था जो आई.सी.आई.सी.आई बैंक द्वारा सितम्बर 2005 तक की वैधता के साथ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, गोड्डा के पक्ष में जारी किया गया था। निर्माण कार्य के कार्यान्वयन में देरी के कारण कार्यपालक अभियन्ता ने संवेदक के सभी भुगतान को रोकने का निर्देश आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को दिया (अगस्त 2005) और बैंक गारंटी की राशि की अदायगी डिवीजन को करने के लिए कहा क्योंकि संवेदक के साथ किए गए एकरारनामा को निरस्त किया जा रहा था। फिर भी बैंक, बैंक गारण्टी को जब्त करने के बजाय उसकी वैधता को बढ़ाकर 23 अगस्त 2006 तक कर दी।

इसी दौरान इस बैंक गारण्टी को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिगृहित (मई 2006) कर ली गई तथा एक नई बैंक गारण्टी कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग के पक्ष में 21 फरवरी 2007 तक की वैधता के साथ निर्गत की गई। संविदा को जुलाई 2006 में निरस्त कर दिया गया। यद्यपि संविदा निरस्त कर दी गई फिर भी

¹⁰ संविदा की शर्तों के उपवाक्य स्थापन का दस्तावेज।

¹¹ एफ.2 एकरारनामा का उपवाक्य 3 ए।

¹² प्रत्येक छोर से (उत्तर एवं दक्षिण) 100 मीटर।

¹³ खाथी नदी पर देरमा लोचिन सड़क (अनुमानित लागत ₹ 1.69 करोड़): निलङ्गी नदी पर देवबन्धा वसंतपूर सड़क (अनुमानित लागत ₹ 2.62 करोड़): एमलो से गोड्डा-भागलपुर राज्य राजमार्ग के पास खत्नाई चैनाल पर (अनुमानित लागत ₹ 3.49 करोड़): बंका नदी पर बांकाघाट पीपाजोरिया पथ (अनुमानित लागत ₹ 3.90 करोड़): और गोड्डा के संग्रामपुर में सुन्दर नदी पर परसाविश्वखंभा सड़क (अनुमानित लागत ₹ 1.98 करोड़) संग्रामपुर।

¹⁴ एकरारनामा के लागत का पाँच प्रतिशत।

कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बैंक गारण्टी को जब्त/रद्द करने के लिये उठाये गये कदम की जानकारी अभिलेखों में नहीं पाए गए। इसके अलावे, लेखापरीक्षा में हमने पाया कि ₹ 3.61 लाख का अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को अंतिम मापी के दौरान की गई अधिक मापी के कारण, दिया गया।

पुनः संवीक्षा में पाया गया कि बैंक ने कार्यपालक अभियन्ता से कहा (2 जुलाई 2011) कि इसकी पुष्टि करें कि संवेदक को बैंक गारण्टी युक्त की जाए या नहीं। बैंक ने कार्यपालक अभियन्ता को बैंक गारण्टी रद्द करने से पहले जवाब देने के लिए 30 दिनों का समय दिया। फिर भी कार्यपालक अभियन्ता ने दिसम्बर 2011 में ही जवाब दिया। इसी बीच बैंक ने ठेकेदार को बैंक गारण्टी युक्त कर दी। इस प्रकार कार्यपालक अभियन्ता द्वारा विशेषतः आवश्यक होने के बावजूद विलंबित अनुक्रिया के कारण विभाग ने बैंक गारण्टी की राशि की वसूली के अवसर को खो दिया। अतः ₹ 3.61 लाख का अधिक भुगतान एवं ₹ 1.10 करोड़¹⁵ जुर्माना संवेदक से वसूलनीय थी जिसके विरुद्ध संवेदक से ₹ 4.68 लाख की जमानत राशि ही (जनवरी से नवम्बर 2004) चालू लेखा बिल से समायोजित किये गये, परिणाम स्वरूप सरकार को ₹ 1.09 करोड़ की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर (जून 2013) कार्यपालक अभियन्ता ने जवाब दिया कि बैंक गारण्टी की जब्ती के लिए बैंक को बारंबार स्मारपत्र देने के बावजूद राशि की वसूली नहीं की गई तथा कहा गया कि आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यपालक अभियन्ता समयानुसार बैंक गारण्टी की जब्ती नहीं करने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के विरुद्ध कार्रवाई करने में असफल रहे और बैंक ऑफ इंडिया से बैंक गारण्टी को भुना नहीं पाये।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2013); इसके उत्तर स्मारपत्रों¹⁶ के बावजूद अब तक अप्राप्त है (फरवरी 2014)।

3.1.5 निष्फल व्यय

पहुँच पथ के निर्माण हेतु संपूर्ण जमीन के अधिग्रहण के बिना, पुल का निर्माण किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

झारखण्ड लोक कार्य लेखा संहिता¹⁷ के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति तथा निविदा प्रक्रिया के निष्पादन से पूर्व भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए। यह इस

¹⁵ एकरारनामा राशि ₹ 11.04 करोड़ का 10 प्रतिशत।

¹⁶ स्मार पत्र संख्या. रिपोर्ट (स्थिति)ए.आर./2012-13/130 दिनांक 19 अगस्त 2013, संख्या 213 दिनांक 19 सितम्बर 2013 एवं संख्या 312 दिनांक 21 अक्टूबर 2013।

¹⁷ परिशिष्ट 'ए'केन्द्रीय सचिवालय एवं समन्वयन विभाग (निगरानी कक्ष), संकल्प संख्या-948 दिनांक 16 जुलाई 1986, बिहार लोक सेवा संहिता के कंडिका 4.5 एवं 7.5 जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत।

बात पर भी जोर देता है कि तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भूमि अधिगृहीत कर लिया गया हो।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, गोड्डा के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2013) से पता चला कि निविदा के माध्यम से एक संवेदक को ₹ 2.05 करोड़ में नीलझी नदी पर देवबंधा बसंतपुर रोड में एक पुल का निर्माण एवं पुल के दोनों ओर 100 मीटर पहुँच पथ बनाने का कार्य¹⁸ दिया गया (अगस्त 2003)। परन्तु कार्य नियत समय पर पूरा नहीं किया गया। इसलिए विभाग ने कार्य की अंतिम मापी के बाद कार्य का मान ₹ 61.52 लाख निर्धारित कर अनुबंध रद्द (जुलाई 2006) कर दिया।

शेष कार्य नवम्बर 2007 तक पूर्ण करने हेतु दूसरे ठेकेदार को ₹ 1.47 करोड़ रूपये में दिया गया (नवम्बर 2006)। ठेकेदार ने पुल निर्माण एवं उत्तर दिशा में 160 मीटर पहुँच पथ एवं दक्षिण¹⁹ में 20 मीटर पहुँच पथ का कार्य पूर्ण कर (मई 2011) ₹ 1.45 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया। यद्यपि ठेकेदार ने यह सूचित किया (फरवरी 2010) कि दक्षिण की तरफ 20 मीटर पहुँच पथ का निर्माण रैयती²⁰ जमीन अनुपलब्ध होने के कारण अपूर्ण था।

कार्यपालक अभियंता ने उपायुक्त, गोड्डा से पहुँच पथ हेतु बसंतपुर (दक्षिण की ओर) में एक कि.मी. लम्बी जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (अप्रैल 2010)। जाँच से यह जात हुआ कि उपायुक्त ने जमीन अधिग्रहण के लिए संबंधित रैयतों को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान के लिए ₹ 10.89 लाख की मांग की (मार्च 2012)।

कार्यपालक अभियंता ने प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार से आग्रह किया (मार्च 2012) कि रैयतों को क्षतिपूर्ति हेतु शेष ₹ 9.15 लाख आवंटित किया जाए चूंकि ₹ 1.74 लाख पहले ही उपायुक्त, गोड्डा को भूमि अधिग्रहण हेतु दिया जा चुका था (दिसम्बर 2010)।

इसके बावजूद न ही निधि उपलब्ध कराई गई और न ही जमीन अधिग्रहण किया जा सका तथा ₹ 2.07 करोड़²¹ खर्च होने के बाद भी पहुँच पथ का निर्माण अपूर्ण रहा (नवम्बर 2013)।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बिंदु के उठाए जाने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब में कहा गया (फरवरी 2013) कि विभाग के निदेशानुसार कार्य शुरू किया गया था।

¹⁸ प्रबंध परिषद गोड्डा द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन (2002) (₹ 2.62 करोड़) तथा मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, छोटानागपुर एवं संथालपरगना द्वारा तकनीकी अनुमोदन।

¹⁹ कार्यपालक अभियंता ने कहा कि (दिसम्बर 2013), ग्रामीणों को पुल से सम्पर्क स्थापित करने हेतु 160 मीटर पहुँच पथ का निर्माण उत्तरी छोर पर बनाया गया था। यह करार के नियमों के विरुद्ध था क्योंकि करार के अनुसार पुल के दोनों छोरों पर 100 मीटर पहुँच पथ का निर्माण करना था।

²⁰ निजी व्यक्तियों (रैयत) से संबंधित भूमि।

²¹ ₹ 61.52 लाख + ₹ 145.12 लाख = ₹ 206.64 लाख = ₹ 2.07 करोड़।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जमीन अधिग्रहण से पूर्व कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, सरकारी आदेश के प्रावधानों के अनुसरण नहीं किये जाने तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा पहुँच पथ हेतु जमीन अधिग्रहण करने के पहले कार्य शुरू करने के गलत निर्णय से बसंतपुर की ओर आंशिक पहुँच पथ नहीं बनने के कारण 2003 में शुरू हुए पुल एवं पहुँच पथ बनाने में ₹ 2.07 करोड़ का व्यय निष्फल रहा (नवम्बर 2013)।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2013); स्मारित²² करने के बावजूद उनके उत्तर अप्राप्त थे (फरवरी 2014)।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा/औचित्य विरुद्ध व्यय

लोक निधि से होने वाले व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य एवं दक्षता के सिद्धांत से मार्गदर्शित किया जाना है। प्राधिकारियों, जिनमें व्यय करने की शक्ति निहित है से आशा की जाती है कि व्यय करते समय वे वैसा ही सतर्कता बरतें जैसा कि सामान्य जान रखने वाला व्यक्ति स्वयं के पैसे को खर्च करते समय बरतता है तथा उन्हें प्रत्येक कदम पर वित्तीय आदेश एवं सशक्त मितव्ययिता को लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्य एवं अतिरिक्त व्यय के उदाहरणों का पता किया जिसमें से कुछ का वर्णन यहाँ नीचे किया जा रहा है:

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

3.2.1 निष्क्रिय निवेश

गतिविधियों को क्रमबद्ध नहीं किए जाने के कारण, संयत्र और उपकरण की खरीद पर ₹ 3.72 करोड़ खर्च करने पर भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाने छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने में असफल रहे।

झारखंड वित्तीय नियमावली खंड-I का नियम 129 यह बताता है कि लोक सेवा हेतु खरीद निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार सबसे किफायती ढंग से किया जाना चाहिए और साथ ही खरीद करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह सावधानी बरतनी चाहिए कि वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक भंडार की खरीद अग्रिम में नहीं करें यदि इस प्रकार की खरीद सरकार के लिए अलाभकारी होने की संभावना हो।

झारखंड सरकार ने राज्य के छात्रों को प्रत्येक आई.टी.आई. में दस ट्रेडों जैसे फीटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन इत्यादि में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पाँच

²² स्मार: पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2012-13/106 दिनांक 30 जुलाई 2013, सं.-174 दिनांक 06 सितम्बर 2013 तथा सं.-241 दिनांक 15 अक्टूबर 2013।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.)²³ की स्वीकृति दी (मई 2008)। सरकार ने प्रत्येक आई.टी.आई. के लिए प्रधानाध्यापक, मुख्य प्रशिक्षक, ड्राइंग प्रशिक्षक, फिटर अनुदेशक आदि के 44 पद भी स्वीकृत किए (जून 2008)।

निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2013) और संबंधित आई.टी.आई.²⁴ से एकत्रित किए गए सूचनाओं (जून 2013) पर हमने अवलोकन किया कि निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण ने मशीन और उपकरणों के लिए खरीद आदेश एक आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत किया (मार्च 2011)। आदेश के विरुद्ध 11 संख्या²⁵ में (आई.टी.आई. गुमला के लिए) और 15 संख्या²⁶ में (आई.टी.आई. झगड़ाटांड, गढ़वा के लिए) मशीन और उपकरण जिसकी कीमत ₹ 3.72 करोड़ थी, मार्च और मई 2012 में आपूर्ति की गई जिसकी गारंटी अवधि प्रेषण की तारीख से बारह महीने थी। अभिलेखों की जाँच एवं संबंधित आई.टी.आई. के भौतिक सत्यापन से पता चला कि मशीन और उपकरण आई.टी.आई. गुमला और आई.टी.आई. गढ़वा कैम्पस में खुले जगहों पर पेटी में बन्द की स्थिति में ही पड़े थे और इनको अधिष्ठापित/चालू नहीं किया जा सका क्योंकि गुमला में आई.टी.आई. भवन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों के कब्जे में था और झगड़ाटांड, गढ़वा का भवन, प्रधानाध्यापक, आई.टी.आई., गढ़वा को जून 2013 तक हस्तगत नहीं किया जा सका था। पेटीनुमा मशीनों और उपकरणों की भौतिक स्थिति को नीचे दिये गए फोटोग्राफ में देखा जा सकता है:



आई.टी.आई. गढ़वा कैम्पस में खुले जगह पर पेटी में बन्द की स्थिति में पड़े मशीन एवं उपकरण



आई.टी.आई. गुमला में खुले जगह पर पड़े पेटी में बन्द की स्थिति में पड़े मशीन एवं उपकरण

इन मशीनों और उपकरणों की वारंटी जून 2013 तक पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यह भी अवलोकन किया गया कि आवश्यक कार्यबल/प्रशिक्षकों की भर्ती आज की तारीख तक पूरा नहीं किया जा सका था। 2013 के दौरान आई.टी.आई. झगड़ाटांड,

²³ गुमला, जामताड़ा, झगड़ाटांड (गढ़वा), कोडरमा और सिमडेगा।

²⁴ गुमला और झगड़ाटांड(गढ़वा) में आई.टी.आई.।

²⁵ सी एन सी यूनिभर्सल मिलींग मशीन-एक, बेलनाकार ग्राइण्डिंग मशीन-एक, सरफेश ग्राइण्डर-एक, यूनिभर्सल टूल एवं कटर ग्राइण्डिंग मशीन-एक, कॉलम ड्रिलिंग मशीन-एक, सी.एन.सी. लेथ मशीन-एक, सेन्टर लेथ मशीन-दो, सी एन सी ऑटिकल मिलींग मशीन-एक, रेडियल ड्रिलिंग मशीन-एक, सी एन सी ट्रेन मशीन मशीनींग सेन्टर-एक।

²⁶ कॉलम ड्रिलिंग मशीन-एक, सी एन सी लेथ मशीन-एक, सेन्ट्रल लेथ मशीन-12 और रेडियल ड्रिलिंग मशीन-एक।

गढ़वा में किसी प्रशिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी और आई.टी.आई. गुमला में केवल तीन प्रशिक्षक नियुक्त किये जा सके थे।

आपत्ति उठाए जाने पर, निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग राँची द्वारा बताया गया (अप्रैल 2013) कि मशीनों की खरीद एक सतत् प्रक्रिया थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मशीनें एवं उपकरण खरीदे गए और मई 2012 से निष्क्रिय रखे गये। इसके अलावा, खरीद को भौतिक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता और अपेक्षित कार्यबल की भर्ती से क्रमबद्ध नहीं किया जा सका था। इसके अतिरिक्त, मशीनों और उपकरणों को बिना उपयुक्त भंडारण के पेटी में बन्द की स्थिति में खुले जगहों में रखा गया था। इसके फलस्वरूप, न केवल ₹ 3.72 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ बल्कि छात्रों को लक्षित प्रशिक्षण से वंचित रखा गया, साथ ही मशीनों और उपकरणों को चोरी और क्षति के लिए खुला छोड़ा गया।

सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2013) कि राज्य मंत्रिमंडल ने निश्चय किया है कि आई.टी.आई. झगड़ाटांड, गढ़वा को पी.पी.पी. तर्ज पर चलाया जायेगा जबकि उपायुक्त गुमला से आई.टी.आई. भवन गुमला को खाली कराने का अनुरोध किया गया है। वास्तविकता यह है कि आज की तारीख तक (दिसम्बर 2013) मशीनों और उपकरणों को उपरोक्त स्थानों पर अधिष्ठापित नहीं किया जा सका जिसके कारण राज्य के छात्रों को लाभ से वंचित रखा गया।

कल्याण विभाग

3.2.2 अलाभकारी व्यय

गलत मांग के आधार पर क्रय के फलस्वरूप साईकिल अवितरित रहे, जिस कारण ₹ 2.07 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ जिसमें ₹ 97.13 लाख के चोरी और गुम हुए साईकिल सम्मिलित हैं।

उच्च विद्यालयों में छात्राओं द्वारा दाखिला लेने के पश्चात विद्यालय छोड़ने से रोकने के लिए कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने सरकारी विद्यालयों के आठवीं कक्षा में अध्ययनरत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली छात्राओं के लिए निःशुल्क साईकिल वितरण की एक योजना शुरू की (सितम्बर 2005)। योजना के तहत वैसे ही छात्राओं को साईकिल दिया जाना था जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के हों जो विद्यालय छात्रावास में नहीं रह रही हों तथा विद्यालय से दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर हों। आगे, 2009-10 से यह योजना इसी श्रेणी के छात्रों के लिए भी विस्तारित की गई।

योजना के अनुसार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (प्र.क.प.) को विनिर्दिष्ट पात्रता मापदंड के आधार पर विद्यार्थियों छात्रों के नाम की सूची विद्यालय प्रबंधन समिति को समीक्षा एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना था। अन्ततः सूची का अनुमोदन जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.प.) द्वारा किया जाना था, उन्हे ही अपने जिला के सभी प्रखण्डों के मांग को संकलित कर साईकिल की खरीद की व्यवस्था एवं संबंधित जिला में देने के लिए आदिवासी कल्याण आयुक्त (आ.क.अ.) कल्याण विभाग को अग्रसारित करना था। आ.क.अ. द्वारा चयनित साईकिल कम्पनियों को क्रय आदेश देने के पश्चात, जि.क.प. को संबंधित प्रखण्डों के मांग के अनुसार साईकिल देने के लिए साईकिल कम्पनियों को प्रस्ताव भेजना था।

झारखण्ड वित्तीय नियम 129 के अनुसार लोक सेवा के लिए क्रय निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार सबसे किफायती ढंग से किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जाँच (जून-अक्टूबर 2012) और दो जि.क.प.²⁷ और संबंधित 19 प्र.क.प.²⁸ से एकत्र की गई सूचना (मई 2013 से फरवरी 2014) से पता चला कि 2010-11 से 2012-13 के दौरान विभिन्न प्रखण्डों के द्वारा प्राप्त किए गए साईकिल पूरी तरह से वितरित नहीं किये गए और ₹ 1.10 करोड़ के 4,301 साईकिल²⁹ चतरा और सरायकेला-खरसांवा जिला में जनवरी 2014 तक वितरित नहीं किए जा सके थे। आगे हमने यह भी अवलोकन किया कि 2012-13 के दौरान साईकिलों की खरीद पूर्व में उपलब्ध साईकिलों का वितरण किए बिना ही किया गया और 2012-13 के दौरान प्राप्त किए गए साईकिलों का भी इन जिलों में पूर्ण वितरण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, चतरा जिला में 2010-11 के दौरान 10,500 साईकिल प्राप्त किए थे जिसमें से केवल 7,340 साईकिल प्रखण्डों को वितरित किए गए। चतरा जिला मुख्यालय में भंडारित शेष 3,160 अवितरित साईकिलों में जि.क.प. चतरा द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन (सितम्बर 2011) के दौरान केवल 460 साईकिल भंडार में पाये गए। अतः ₹ 67.20 लाख के 2,700 साईकिल गायब थे। इस संबंध में स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, जि.क.प. चतरा ने बतलाया (फरवरी 2014) कि जाँच प्रगति में है।

आगे यह भी पाया गया कि 2012-13 में ₹ 2.45 लाख के 88 साईकिल चतरा सदर प्रखंड के गोदाम से चोरी कर लिए गए जिसके लिए पुलिस के पास प्राथमिक दर्ज

²⁷ चतरा और सरायकेला-खरसांवा।

²⁸ चतरा जिला के प्र.क.प. चतरा सदर, गिद्धौर, हण्टरगंज, ईटखोरी, कान्हाचूड़ी, लावालौंग, मयूरहण्ड, पत्थलगड़ा, सिमरिया और टंडवा और सरायकेला-खरसांवा जिला के चांडिल, गम्हरिया, इचागढ़, खरसांवा, कुर्चई, कुकरू नीमडीह, राजनगर और सरायकेला।

²⁹ जिला स्तर पर, चतरा ₹ 11.45 लाख के 460 साईकिल, चतरा जिला के विभिन्न प्रखण्ड स्तर पर (चतरा सदर, हण्टरगंज, ईटखोरी, लावालौंग, मयूरहण्ड, पत्थलगड़ा और हण्डवा): 660 साईकिल ₹ 17.80 लाख मूल्य के और सरायकेला खरसांवा जिला के विभिन्न प्रखण्ड स्तर पर (इचागढ़, चांडिल, गम्हरिया, खरसांवा एवं सरायकेला): 3,181 साईकिल ₹ 80.75 लाख मूल्य के।

करायी गयी थी (अप्रैल एवं सितम्बर 2013)। आगे, 2010-12 के दौरान चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड ने 2,373 साईकिल प्राप्त किया और 1,311 साईकिल वितरित किया और ₹ 27.48 लाख के 1,062 साईकिल किताबी शेष के रूप में रह गए। जबकि, अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए विवरणी के अनुसार इस शेष के विरुद्ध कोई साईकिल भंडार में नहीं था। आगे, 2009-10 के दौरान प्र.क.प., हंटरगंज ने लड़कियों के बीच साईकिलों का विवरण करने के लिए ₹ 8.28 लाख मूल्य के 343 साईकिल प्राप्त किए। परन्तु वितरण की वस्तुस्थिति का पता नहीं किया जा सका क्योंकि वर्तमान प्र.क.प. ने बताया (फरवरी 2014) कि वितरण पंजी उसे हस्तांतरित नहीं किया गया जबकि भण्डार शून्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा उद्घटित किए जाने पर, जि.क.प. ने बताया (जून 2013) कि शिक्षण सत्र के बीच में विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ना, आवास एवं विद्यालय के बीच दूरी के संबंध में विनिर्दिष्ट मापदंडों को पूर्ण नहीं किया जाना और प्र.क.प. द्वारा अधिक साईकिलों की मांग साईकिलों के वितरण नहीं किये जाने का कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाभार्थी विद्यार्थियों से संबंधित विनिर्दिष्ट मापदंडों की जाँच साईकिलों की मांग जि.क.प. को भेजने से पूर्व लागू किया जाना चाहिए था। आगे, छात्रों के विद्यालय छोड़ने के मामले में, प्राप्त किए गए साईकिलों का समायोजन अगले वर्ष के अनुमानित ताजा मांग के विरुद्ध किया जाना चाहिए था। पुनः, क्योंकि वास्तविक वितरण साईकिलों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन जि.क.प. को प्रखण्डों से प्राप्त नहीं हुआ, जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा वास्तविक मांग का आकलन नहीं जा सका और उन्होंने केवल प्रखण्डों से प्राप्त मांगों को आ.क.आ. को अग्रेसित किया जिसके फलस्वरूप बढ़ा हुआ मांग और ₹ 2.07 करोड़ मूल्य के 8,151 साईकिलों की आधिक्य खरीद हुई। अतः साईकिलों के क्रय में वित्तीय नियम एवं मांग के आकलन के लिए विहित प्रक्रिया की अनदेखी की गई जिसके फलस्वरूप सरकार को ₹ 2.07 करोड़³⁰ का अलाभकारी व्यय हुआ जिसमें साईकिलों के चोरी एवं गायब होने के कारण ₹ 97.13 लाख का घाटा शामिल है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2013); स्मार-पत्रों³¹ के बावजूद उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2014)।

3.3 दृष्टिचूक/शासन की विफलता

सरकार को लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का दायित्व है जिसके लिए यह स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और बुनियादी संरचना के उन्नयन और जनसेवा आदि के क्षेत्र में निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के तहत कार्य करती है। यद्यपि, लेखापरीक्षा में

³⁰ अविरित साईकिल: संख्या 4,301, ₹ 1.10 करोड़, गायब: संख्या 3,762, ₹ 94.68 लाख और चोरी: संख्या 88, ₹ 2.45 लाख।

³¹ स्मार-पत्र: पत्र सं. रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2012-13/126 दिनांक 19 अगस्त 2013, सं. 217 दिनांक 19 सितम्बर 2013 एवं 308 दिनांक 21 अक्टूबर 2013

उदाहरण पाये गये, जहाँ सरकार द्वारा सामुदायिक लाभ हेतु लोक संपदा की सृष्टि हेतु विमुक्ति की गयी निधि विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने में असमर्थता एवं योजनाबद्ध तरीके का आभाव, प्रशासनिक दृष्टिचूक के कारण अनुपयोगित/अवरोधित और/या निष्फल/अलाभकारी/अनुत्पादक रही। कुछ वैसे मामलों को नीचे विमर्शित किया गया है:

भवन निर्माण विभाग

3.3.1 निष्फल व्यय

विभागों के बीच समन्वय का अभाव तथा जल के बाह्य स्रोत को समझे बिना अनुमानित व्यय का अनुमोदन के परिणामस्वरूप सरकारी आवासों के निर्माण पर ₹ 2.14 करोड़ का व्यय अलाभकारी हुआ।

झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत बिहार लोक कार्य विभाग (बी.पी.डब्ल्यू.डी.) संहिता के परिशिष्ट-VIII की कंडिका 3 के अनुसार यदि कोई नया भवन का निर्माण करना हो और विद्युत स्वच्छता एवं जलापूर्ति उपलब्ध कराना अपेक्षित हो, इन सबों के लिए अनुमानित व्यय आवश्यक था ताकि परियोजना के सकल अनुमानित राशि हेतु प्रशासनिक अनुमोदन दिया जा सके। बिहार लोक कार्य विभाग संहिता के परिशिष्ट-IX जो नियम 109 से संबंधित है, के अनुसार जहाँ स्वच्छता सेनीटरी फिर्टिंग तथा/या पाइप से जलापूर्ति का प्रश्न विचारणीय हो अधीक्षण अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए ताकि वह पेयजल एवं स्वच्छता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को स्थल समिति में प्रतिनिधित्व करने हेतु व्यवस्था कर सके।

सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सचिव, भवन निर्माण विभाग को अनुरोध किया³² था (फरवरी-मई 2005) कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल से जलापूर्ति कार्य के लिए अनुमानित व्यय प्राप्त कर उसे भवनों के प्राक्कलन का अंग बनाते हुए जलापूर्ति सहित भवन के प्राक्कलन का अनुमोदन प्रदान करें ताकि भवन की पूर्णता के साथ ही जलापूर्ति भी उपलब्ध कराया जा सके। पुनः उन्होंने कहा कि नव निर्मित भवन में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए भवन प्रमण्डल द्वारा पूछा जा रहा था, तथापि इस मांगों की पूर्ति करना संभव नहीं है क्योंकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में नए भवन में जलापूर्ति हेतु अलग से कोष का प्रावधान नहीं है।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चतरा के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि (मार्च 2013) कि चतरा जिला के सरकारी कर्मचारियों के लिए ए, बी, सी तथा डी प्रकार के 30 आवासों के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग

³² पत्रांक-6/vi 3-130/03-560 दिनांक-17 फरवरी 2005 तथा 2019 दिनांक-20 मई 2005।

राँची³³ द्वारा तकनीकी अनुमोदन (जून 2007) के आधार पर ₹ 2.46 करोड़ के अनुमानित व्यय के लिए सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन³⁴ (जुलाई 2007) प्रदान किया गया। तथापि बाह्य स्रोत से जलापूर्ति के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन में कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं था। यद्यपि बिहार लोक कार्य विभाग संहिता तथा सरकारी अनुदेशों के प्रावधान के अनुसार यह अपेक्षित था। कुल ₹ 2.23 करोड़ की लागत पर चार समझौते किए गए (फरवरी 2008) तथा सभी आवासों का निर्माण ₹ 2.14 करोड़ की लागत पर सितम्बर 2010 से मार्च 2011 तक सम्पन्न किए गए। तथापि इन आवासों में जलापूर्ति उपलब्ध नहीं कराई गई थी (सितम्बर 2013) क्योंकि बाह्य जलस्रोत की स्थिति नहीं की गयी थी। हमने यह भी देखा कि कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चतरा द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा को जल सुविधा तथा जलापूर्ति हेतु प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन उपलब्ध कराने के लिए बारंबार अनुरोध³⁵ (दिसम्बर 2008 से अप्रैल 2012) किया गया ताकि भवन निर्माण विभाग से निधि की मांग की जा सके लेकिन पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा द्वारा ऐसा प्रक्कलन हस्तगत नहीं कराया गया था (सितम्बर-2013)। निर्मित आवासों में बाह्य जल स्रोत की व्यवस्था किए बिना ही जिला प्रशासन को हस्तगत किए गए थे (अप्रैल 2011)।

लेखा परीक्षा दल तथा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, चतरा द्वारा एक संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया (सितम्बर 2013) जिसमें पाया गया कि इन आवासों में बाह्य जलापूर्ति स्रोत की व्यवस्था नहीं थी। सभी 18 ए तथा बी टाइप के आवास खाली थे जबकि सी तथा डी टाइप के कुछ आवास अधिकृत थे।

बाह्य जलापूर्ति व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चतरा द्वारा बताया गया (मई 2013 तथा सितम्बर 2013) कि चतरा शहरी जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन के अन्तर्गत चतरा प्रखण्ड कार्यालय के पास बनाया गया जलमीनार चालू हो जाने के बाद इन सभी आवासों में एक साथ जलापूर्ति की जाएगी। तथापि, भवन निर्माण विभाग द्वारा इन आवासों तक अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए निधि उपलब्ध कराना था।

जल की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति को दूर किया जा सकता था अगर संहिता के प्रावधानों एवं सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सलाह (फरवरी-मार्च 2005) पर भवन विभाग द्वारा ध्यान दिया जाता। इस प्रकार दो विभागों के बीच समन्वय के

³³ सभी प्राक्कलनों को मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 21 जून 2007 को तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया।

³⁴ भवन निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक-73 बी.एच., 94 बी.एच., 104 बी.एच. तथा 74 बी.एच. सभी दिनांक-10 जुलाई 2007।

³⁵ पत्रांक-1055 दिनांक-4 दिसम्बर 2008, 887 दिनांक-17 सितम्बर 2009, 660 दिनांक-22 जुलाई 2010, 15 दिनांक- 6 जनवरी 2012, 229 दिनांक-15 मार्च 2012 तथा 292 दिनांक-13 अप्रैल 2012 द्वारा।

अभाव के कारण ₹ 2.14 करोड़ का व्यय अप्रैल 2011 से निष्फल हुआ क्योंकि निर्मित आवास सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिकृत नहीं थे जैसा कि अभिप्रेत था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (जून 2013); विभिन्न स्मारपत्रों³⁶ के बावजूद उनका उत्तर अप्राप्त है (फरवरी 2014)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.3.2 सरकार को हानि

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चावल का अविवेकपूर्ण उठाव, समय पर उपयोग न किये जाने के फलस्वरूप उनकी गुणवत्ता में कमी एवं गबन के कारण ₹ 1.54 करोड़ की हानि।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को प्रत्येक मानव दिवस के लिए मजदूरी के भाग के रूप में पाँच किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का वितरण नियत था। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)³⁷ की शुरुआत सितम्बर 2005 में की गई तथा एस.जी.आर.वाई. को इसमें वित्त दिया गया। मनरेगा अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान पूर्णरूपेण मौद्रिक या आंशिक मौद्रिक अथवा अन्य प्रकार से किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड में (फरवरी 2006) मनरेगा योजना को लागू किया गया तथा एस.जी.आर.वाई. के शेष अनुपयोगित खाद्यान्न को मनरेगा कार्यक्रम का संसाधन माना गया।

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार ने आदेश दिया (अप्रैल 2006) कि एस.जी.आर.वाई. की सभी चालू योजनाओं को पूर्ण किया जाय तथा उपलब्ध खाद्यान्नों का उपयोग 30 जून 2006 तक कर ली जाय। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2009 तथा फरवरी 2011), झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (झा.रा.खा. एवं ना.आ.) निगम, राँची तथा संबंधित प्रखण्ड विकास कार्यालयों से एकत्रित सूचना के (अप्रैल 2010 तथा मई 2013) से उद्घटित हुआ कि उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची के निर्देश (26 जून 2006) पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हेतु भारतीय खाद्य निगम से 1,602.05 मिट्रीक टन (मि.टन) चावल का उठाव किया गया तथा झा.रा.खा. एवं ना.आ.निगम, कडरु राँची के गोदाम में जमा किया गया एवं

³⁶ स्मार पत्र सं.-रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2012-13/104 दिनांक-30 जुलाई 2013, सं.-172 दिनांक- 6 सितम्बर 2013 तथा 239 दिनांक-15 अक्टूबर 2013।

³⁷ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पुर्णनामाकरण कर अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) किया गया था।

जिला प्रबन्धक, झा.रा.ख. एवं ना.आ. निगम द्वारा योजना अन्तर्गत राँची के आठ प्रखंडों द्वारा मांगे जाने पर 595.12 मि.टन³⁸ चावल निर्गत किया गया। लम्बे समय तक भंडारण के कारण चावल की गुणवत्ता में कमी आने के मुद्दे को झा.रा.ख.एवं ना.आ. निगम द्वारा उठाए जाने पर (जनवरी 2007 तथा अक्टूबर 2009 के बीच) उप विकास आयुक्त, राँची ने मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची तथा खाद्य निरीक्षक, राँची द्वारा भंडारित चावल की जाँच करायी (नवम्बर 2009) जिन्होंने पाया कि 42.25 मि.टन³⁹ चावल को सड़ा हुआ था। पुनः उपायुक्त द्वारा गठित समिति (जून 2012) ने चावल के गुणवत्ता में कमी प्रतिवेदित किया तथा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बताया। इसके अलावा झा.रा.ख.एवं ना.आ. निगम के गोदाम के सहायक प्रबन्धक के खिलाफ 366.25 मि.टन चावल के गबन के आरोप में दो एफ.आई.आर. दर्ज किया (मार्च एवं अप्रैल 2011)।

इसी बीच में उपायुक्त, राँची ने अगस्त 2009 में जिला प्रबन्धक, झा.रा.ख.एवं ना.आ. निगम को सलाह दिया कि संशोधित मनरेगा (फरवरी 2009) योजना के अनुसार मजदूरी के भाग के रूप में खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाना था इसलिए खाद्यान्नों का उपयोग दूसरे योजनाओं⁴⁰ में किया जा सकता था यद्यपि यह देखा गया कि चावल का उपयोग दूसरे योजनाओं में भी नहीं किया गया तथा झा.रा.ख.एवं ना.आ. निगम के गोदाम में पड़ा रहा। तदन्तर, प्रबंधक निदेशक, झा.रा.ख.एवं ना.आ. निगम ने उपायुक्त, राँची से आग्रह किया (अक्टूबर 2010) कि चावल की नीलामी के लिए सुरक्षित राशि निर्धारित करें जो अन्ततः अगस्त 2012 में सम्पन्न हुआ और ₹ 8,760 प्रति मि.टन की दर से 640.68 मि.टन चावल निष्पादित किया गया (₹ 56.12 लाख)।

उठाव किए गये खाद्यान्नों के उपयोग नहीं होने के संबंध में पूछे जाने पर उप विकास आयुक्त, राँची ने जवाब दिया (सितम्बर 2012) कि मनरेगा योजना में प्रावधान नहीं होने के कारण खाद्यान्नों का वितरण नहीं किया गया। जवाब नियमानुकूल नहीं था क्योंकि फरवरी 2009 तक मनरेगा योजनान्तर्गत भुगतान के घटक के रूप में खाद्यान्न का उपयोग किया जा सकता था। इस प्रकार, आवश्यकता का निर्धारण किए बिना चावल का उठाव मजदूरी भुगतान हेतु चावल निर्गत करने में विफलता तथा 1,006.93 मि.टन⁴¹ चावल को समय निष्पादित नहीं किए जाने के कारण सरकार को ₹ 1.54 करोड़⁴² की हानि हुई।

³⁸ अनगड़ा- 311.97 मि.टन., अङ्की-38.75 मि.टन, बुडमु-14.88 मि.टन, लापुंग- 95.42 मि.टन, मुरहु-48.06 मि.टन, कांके- 24.30 मि.टन, रातु- 49.90 मि.टन, तथा सोनाहातु-11.84 मि.टन।

³⁹ लॉट-सी.1-250 बैग x 50 कि.गा.= 12.50 मि.टन + लॉट डी.1- 595 बैग x 50 कि.गा.= 29.75 मि.टन कुल - 42.25 मि.टन।

⁴⁰ उपायुक्त, राँची के पत्र में दूसरे योजनाओं के नाम का उल्लेख नहीं था।

⁴¹ 1,602.05 मि.टन - 595.12 मि.टन = 1,006.93 मि.टन।

⁴² 1,006.93 मि.टन X ₹ 20,880 प्रति मि.टन (झा.रा.ख.एवं ना.आ. निगम के द्वारा निर्धारित निर्गत दर) = ₹ 21,025 लाख-नीलामी मूल्य ₹ 56.12 लाख= ₹ 154.13 लाख।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2013); स्मारपत्रों⁴³ के बावजूद उनका जवाब अप्राप्त था (फरवरी 2014)।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3.3 निष्फल व्यय

कार्यान्वयन एजेंसी के निस्तेज पहुँच एवं प्राधिकारों द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के अभाव के कारण अस्पताल भवन अपने स्वीकृति के छ: वर्ष के बाद भी अपूर्ण रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ एवं लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से इन्कार किया गया।

लोहरदगा में मौजूद 30 शैय्या वाले अस्पताल को 100 शैय्या वाले सदर अस्पताल में उन्नयन का अनुमोदन (मार्च 2006) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार एवं तकनीकी अनुमोदन (सितम्बर 2006) जिला अभियंता, जिला परिषद, लोहरदगा (डी.ई.जेड.पी.) द्वारा ₹ 60.59 लाख के लिए दिया गया था। कार्यान्वयन एजेंसी (डी.ई.जेड.पी. लोहरदगा) द्वारा कार्य विभागीय रूप में लिया गया था, कार्य प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने की तिथि क्रमशः अक्टूबर 2006 एवं मार्च 2007 था। सिविल सर्जन (सी.एस.) द्वारा कार्यादेश डी.ई.जेड.पी. को निर्गत किया था और कनीय अभियंता को कार्यान्वयन अभिकर्त्ता नियुक्त किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य का निरीक्षण कनीय अभियंता (जे.ई.), सहायक अभियंता (ए.ई.), जिला अभियंता (डी.ई.), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बी.डी.ओ.), अनुमंडल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.), उपविकास आयुक्त (डी.डी.सी.) एवं उपायुक्त (डी.सी.) के द्वारा किया जाना था और निर्धारित समय के अंदर काम पुरा नहीं करने और निर्धारित विनिर्देश के अनुरूप उच्च गुणवत्ता को नहीं बनाये रखने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जानी थी।

सी.एस., लोहरदगा के अभिलेखों की जाँच (सितम्बर 2012) और एकत्र की गई जानकारी (जून 2013) पर हमने अवलोकन किया कि निर्धारित तिथि (मार्च 2007) के अंदर कार्य पूर्ण नहीं करने, 2004 से 2007 तक दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) में परिवर्तन, प्रथम तल्ला, लिफ्ट, आंतरिक सड़कों और चाहरदिवारी का अतिरिक्त प्रावधान करने के कारण, प्राक्कलन को ₹ 1.63 करोड़ के लिए संशोधित किया गया जिसका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया गया (मार्च 2008)। ₹ 1.63 करोड़ के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध, विभाग ने ₹ 1.50 करोड़ उपायुक्त लोहरदगा को आवंटित किया (मार्च 2006 से जुलाई 2008) जिसने

⁴³ स्मार पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/ए.आर./2012-13/108 दिनांक 30 जुलाई 2013, संख्या 176 दिनांक 6 सितम्बर 2013 एवं संख्या 243 दिनांक 15 अक्टूबर 2013।

₹ 1.43 करोड़ डी.ई.जेड.पी. को दिया(सितम्बर 2006 से अप्रैल 2009)। मापी पुस्तिका के आधार पर, दिसम्बर 2011 तक ₹ 1.39 करोड़ का व्यय किया गया था, उसके बाद कोई काम नहीं किया गया था और अस्पताल भवन अधूरा पड़ा था। जैसा कि डी.ई.जेड.पी. के द्वारा बतलाया गया (सितम्बर 2013), ₹ 35.83 लाख⁴⁴ की अनुमानित लागत के विभिन्न अन्य कार्यों को किया जाना बाकी था। विभाग के द्वारा ₹ 13 लाख की राशि एवं उपायुक्त द्वारा सात लाख की राशि कम रिलीज की गई और डी.ई.जेड.पी. के पास शेष ₹ चार लाख निष्क्रिय रूप से बैंक में अप्रैल 2009 से पड़े थे जो कि ब्याज उपार्जित के करण, मई 2013 को बढ़कर ₹ आठ लाख हो गया था।

आगे, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 2009-13 के दौरान सी.एस. ने कार्य की गति धीमी होने एवं कमियों के संबंध में डी.ई.जेड.पी., उपायुक्त एवं विभाग के सचिव को कई बार सूचित किया। उपायुक्त ने स्थल के निरीक्षण के दौरान (मई 2011) विभिन्न कमियों को पाया जैसे कम क्षमता वाले ओवर हेड पानी की टंकी का निर्माण, घटिया गुणवत्ता वाले कार्य और समय की अधिकता के कारण हुई लागत में वृद्धि का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसके लिए डी.ई.जेड.पी. जिम्मेवार है एवं सतर्कता जाँच सहित उपचारात्मक उपाय करने के लिए विभाग के सचिव को अनुरोध किया।

कार्य पूर्ण होने में देरी का कारण, जैसा कि अंकेक्षण के दौरान देखा गया, डी.ई.जेड.पी. के द्वारा क्रियान्वित करने वाले अभिकर्ता (जे.ई.) का बारंबार स्थानान्तरण और जे.ई. द्वारा कार्य में रुचि नहीं लिया जाना था। कार्यादेश में जे.ई., ए.ई., डी.ई., बी.डी.ओ., एस.डी.ओ., डी.डी.सी. और डी.सी. के निरीक्षण संबंधी प्रावधान भी अस्पताल भवन को समय पर पूरा करने में असफल रहा। इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2013), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2013) कि निगरानी ब्यूरो, झारखंड को सदर अस्पताल लोहरदगा के निर्माण में हुई अनियमित्ता की जाँच कर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है।

वास्तविकता यह है कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा समय पर कार्य पूर्ण करने में असफल रहने के कारण, अस्पताल के उन्नयन पर किए गए सम्पूर्ण खर्च ₹ 1.39 करोड़ निष्फल रहा जिसके कारण रोगियों को विकसित चिकित्सीय सुविधायें प्रदान नहीं की जा सकी।

⁴⁴ लिफ्ट: ₹ 18.00 लाख, विद्युत कार्य: ₹ 9.10 लाख, स्वच्छता कार्य: ₹ 5.09 लाख और जलापूर्ति: ₹ 3.64 लाख।

3.3.4 निष्फल व्यय

उच्च अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी और ₹ 83.82 लाख की लागत से नवनिर्मित सिविल सर्जन कार्यालय भवन, गिरीडीह के आदान-प्रदान न होने के परिणामस्वरूप चार वर्षों से अधिक समय तक बेकार पड़ा रहा और सिविल सर्जन कार्यालय को समुचित जगह प्रदान किये जाने के लक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सका जिससे कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने सिविल सर्जन कार्यालय, गिरीडीह के भवन निर्माण के लिए उपायुक्त (डी.सी), गिरीडीह को ₹ 60 लाख⁴⁵ की स्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2006)। उपायुक्त ने निर्माण कार्य को ₹ 83.82 लाख की अनुमानित लागत पर छ: महीने के भीतर पूरा करने के लिए अर्थात् फरवरी 2008 तक, कार्यपालक अभियंता (ई.ई.) ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (आर.डी.एस.डी.) गिरीडीह को सौंपा (अगस्त 2007)।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2012) एवं सिविल सर्जन (सी.एस.), भवन निर्माण प्रमंडल (बी.सी.डी.) और आर.डी.एस.डी., गिरीडीह के कार्यालय से एकत्रित (मई और अगस्त 2013) सूचना के आधार पर हमने अवलोकन किया कि ई.ई., आर.डी.एस.डी. द्वारा सी.एस. कार्यालय गिरीडीह का निर्माण कार्य ₹ 83.82 लाख की लागत से मार्च 2009 में पूर्ण दर्शाया गया जिसकी सूचना सी.एस. गिरीडीह को अक्टूबर 2009 में दी गई। हालाँकि, सी.एस., गिरीडीह ने भवन का प्रभार इस आधार पर नहीं लिया कि चाहरदिवारी अपूर्ण थी जो कि भवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी और चाहरदिवारी को पूर्ण करने के लिए ई.ई., आर.डी.एस.डी., गिरीडीह को नवम्बर 2009 से अक्टूबर 2011 के दौरान अनेक पत्र/ अनुस्मारक जारी किए। इस बीच, उपायुक्त गिरीडीह ने सी.एस., गिरीडीह को अपना कार्यालय नवनिर्मित भवन में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया (जून 2011) क्योंकि निर्माण कार्य ई.ई., आर.डी.एस.डी., गिरीडीह द्वारा पूर्ण कर दिया गया था।

तदनुसार, सी.एस., गिरीडीह ने भवन का दौरा किया (जून 2011) और अनेक कमियाँ पायी जैसे दरवाजे और खिड़कियों का न होना, टूटे शीशे, टूटे शौचालय पैन और अपूर्ण चाहरदिवारी। इस तरह, उसने भवन का प्रभार तब तक लेने से इंकार किया जब तक उनकी मरम्मत नहीं हो जाती तथा चाहरदिवारी पूर्ण नहीं हो जाता, हालांकि चाहरदिवारी प्राक्कलन का हिस्सा नहीं था। उपायुक्त ने दोनों पक्षों को भवन का आदान-प्रदान पूर्ण नहीं किये जाने के लिए जिम्मेदार माना। उपायुक्त ने निर्माण कार्य में देरी और अनुमोदित प्राक्कलन से विचलन किये गए निर्माण कार्य की जाँच के आदेश दिये (नवम्बर 2011) जिसके जाँच प्रतिवेदन (दिसम्बर 2011) से पता चला

⁴⁵ ₹ 23.82 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति विभाग द्वारा 4 मार्च 2009 को बाद में प्रदान की गई थी।

कि भवन का निर्माण विशिष्टताओं के अनुसार हुआ तथापि खिडकियों के अल्यूमिनियम फ्रेम, दरवाजे, रेलिंग्स उद्धरे हुए थे एवं लापता पाये गए और बिजली, सेनीटरी फिटिंग्स क्षतिग्रस्त अवस्था में पाये गये। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त ने ई.ई., भवन निर्माण प्रमंडल को भवन सिविल सर्जन को हस्तगत कराने से पहले उसके मरम्मत का प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया (फरवरी 2012) जिससे कि वह क्रियाशील हो सके। बी.सी.डी. ने ₹ 19.12 लाख का विस्तृत प्राक्कलन जिसमें चाहरदिवारी का ₹ 4.05 लाख शामिल था, उपायुक्त को प्रस्तुत किया (फरवरी 2012) जिसे उसने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को स्वीकृति के लिए भेजा (मार्च 2012) जो कि अभी भी प्रतिक्षित था (अगस्त 2013)। इसी बीच, उपायुक्त ने कार्यालय भवन को पुलिस बल के ठहरने हेतु पुलिस अधीक्षक, गिरीडीह को अस्थायी रूप से आबंटित कर दिया (जुलाई 2013) जो कि पुलिस बल द्वारा कब्जे में रखा गया है।

इस संबंध में सी.एस. गिरीडीह ने बताया (अगस्त 2013) कि उनके कार्यालय द्वारा उपायुक्त, गिरीडीह और ई.ई. आर.डी.एस.डी. गिरीडीह को भवन की कमियों के बारे में सूचित किया गया था परन्तु भवन को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई है।

वास्तविकता यह है कि संबंधित प्राधिकारों के बीच समन्वय की कमी और भवन के आदान-प्रदान पूर्ण न होने के कारण, सी.एस. कार्यालय भवन को समुचित जगह उपलब्ध कराने के लिए ₹ 83.82 लाख की लागत से निर्मित (मार्च 2009) सी.एस. कार्यालय भवन चार वर्षों से अधिक समय तक न केवल बेकार पड़ा रहा बल्कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2013); उनके जवाब समारपत्रों⁴⁶ के पश्चात भी प्राप्त नहीं हुए थे (फरवरी 2014)।

3.4

सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ

यदि अनियमिताएँ वर्ष प्रति वर्ष होती रहती हैं तो वे सतत् अनियमितताएँ हैं। इसके सम्पूर्ण तंत्र में रहने के कारण यह व्यापक हो जाती है। पूर्व के लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बावजूद अनियमिताओं का पुनः होना कार्यपालिका के पक्ष में न केवल अंगभीरता को दर्शाता है बल्कि प्रभावी अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है। बदले में यह नियम/विनियम का जानबूझ कर अनदेखी करने को प्रोत्साहित करता है तथा प्रशासनिक ढाँचा को कमजोर करने के परिणाम के रूप में आता है। एक महत्वपूर्ण मामला पाया गया जो नीचे विवरित है:

⁴⁶ स्मार पत्र सं. रिपोर्ट(सिविल)/ए.आर./2012-13/102 दिनांक 30 जुलाई 2013, संख्या 170 दिनांक 6 सितम्बर 2013 और संख्या 237 दिनांक 15 अक्टूबर 2013।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4.1 निरूपयोगी उपकरणों में सरकारी धन की अवरुद्धता

भौतिक बुनियादी ढांचे की पूर्णता के पहले कार्डियोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक उपकरणों की खरीद और चिकित्सा दल की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप उपकरणों का अधिष्ठापन/उपयोग नहीं हुआ जिसके कारण निरूपयोगी उपकरणों पर ₹ 1.47 करोड़ सरकारी धन अवरुद्ध हुई।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची का 172 शैच्या वाले सुपर स्पेस्टीटी अस्पताल में उन्नयन का कार्य ₹ 120 करोड़ (केन्द्रांश- ₹ 100 करोड़ और राज्यांश- ₹ 20 करोड़) की अनुमानित लागत से 2007 में लिया गया था। योजना के अनुसार, ₹ 100 करोड़ के केन्द्रांश में से सुपर स्पेस्टीटी अस्पताल के निर्माण की लागत ₹ 60.98 करोड़ होनी थी और शेष राशि चिकित्सा उपकरणों की खरीद पर खर्च किया जाना था। खरीदे जाने वाले उपकरणों की सूची का अंतिम रूप निदेशक, रिम्स और मेसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एच.एल.एल.)⁴⁷ के प्रतिनिधि द्वारा नई दिल्ली में 23 सितम्बर 2008 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (एम.एच.एफ.डब्ल्यू.) मंत्रालय के कार्यालय में दिया गया। एम.एच.एफ.डब्ल्यू., भारत सरकार ने रिम्स को सूचित किया (26 दिसम्बर 2008) कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली उपकरणों की खरीद एवं आपूर्ति मेसर्स एच.एल.एल. के द्वारा की जाएगी और संस्थान को उपकरणों के अधिष्ठापन हेतु तैयार रहने की सलाह दी। रिम्स ने कार्डियोलॉजी एवं कार्डियोथोरेसिक उपकरणों की शीघ्र आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को मांग पत्र भेजा (12 जनवरी 2009) जबकि कार्डियोथोरेसिक एवं भास्कुलर सर्जरी (सी.टी.भी.एस.) उपकरणों के उपयोग के लिए कोई संकाय नहीं था और इस हेतु ब्लॉक परिसर के सिविल निर्माण का कार्य भी शुरू नहीं हुआ था।

अभिलेखों की जाँच (जून 2013) से पता चला कि एच.एल.एल ने सी.टी.भी.एस. एवं शल्य चिकित्सा विभागों के लिए निम्न उपकरण आपूर्ति किये।

⁴⁷ भारत सरकार का प्रतिष्ठान।

क्रम संख्या	उपकरणों के नाम	एच.एल.एल.के द्वारा पी.ओ. की तिथि	रिम्स में प्रपत्ति की तिथि	मूल्य \$/ यूरो/₹ में	संख्या	अनुमानित मूल्य भारतीय ₹ में
1	अनेस्थेसिया वर्कस्टेशन	27.04.2009	8.02.2010	\$ 39700	2	3716714.00 ⁴⁸
2	सेल सेवर मशीन	27.04.2009	29.12.2009	\$ 29400	2	2738904.00 ⁴⁹
3	इलेक्ट्रो सर्जिकल कॉटरी	30.12.2011	27.03.2012	₹ 550000	4	2200000.00
4	ए.बी.जी.मशीन	27.04.2009	10.10.2009	₹ 291200	2	582400.00
5	ओपरेटिंग माईक्रोस्कोप	27.04.2009	14.01.2010	यूरो 82574	1	5458141.00 ⁵⁰
कुल						14696159.00

हालाँकि, कार्डियो-थोरासीस टीम की अनुपलब्धता एवं सुपर स्पेस्लीटी के पूरा न होने के कारण इन मशीनों का अधिष्ठापन/उपयोग रिम्स द्वारा जून 2013 तक नहीं हो पाया।

पुनः अभिलेखों की जाँच से पता चला कि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार ने सी.टी.भी.एस. विभाग के लिए 16 पद 24 सितम्बर 2011 को स्वीकृत किया जिसके विरुद्ध केवल तीन वरिष्ठ रेजीडेंट चिकित्सक एवं एक सहायक प्रोफेसर⁵¹ जून 2012 तक पदस्थापित किये गए और प्रोफेसर, सहयोगी प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं वरिष्ठ रेजीडेंट के 13 पद खाली पड़े थे (जून 2013)। ये पद उपर्युक्त उपकरणों, सिवाय इलेक्ट्रो सर्जिकल काउट्री के प्राप्त होने के दो साल के बाद स्वीकृत किये गए।

रिम्स ने कहा (जून 2013) कि उपकरणों का अधिष्ठापन सी.टी.भी.एस. शल्य टीम की नियुक्ति पर की जाएगी। लेखापरीक्षा पृच्छा पर रिम्स ने पुनः कहा (अप्रैल 2014) कि 13 पदों में से एक वरिष्ठ रेजीडेंट की नियुक्ति 31 अक्टूबर 2013 को हुई। यह भी कहा गया की क्रम संख्या एक से तीन से संबंधित उपकरण शल्य चिकित्सक के अनुपलब्धता के कारण क्रियाशील नहीं थे और क्रम संख्या चार एवं पाँच के उपकरण क्रियाशील हो गए हैं। इन उपकरणों की क्रियाशीलता के समर्थन में वांछित दस्तावेजों सहित विस्तृत सूचना रिम्स द्वारा प्रदान नहीं किया गया और लेखापरीक्षा में यह भी नहीं समझा जा सका कि हृदय रोग शल्य चिकित्सक (सी.टी.भी.एस.) के अभाव में ये उपकरण कैसे क्रियाशील हो गए। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर कि क्या उक्त उपकरणों की आपूर्ति को सी.टी.भी.एस. टीम के उपलब्ध होने तक तथा नये सुपर स्पेस्लीटी भवन को रिम्स को हस्तगत होने तक स्थगित रखने के मामले को स्वास्थ्य, परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के ध्यान में लाया गया, रिम्स द्वारा सुस्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। यद्यपि, उपर्युक्त बेकार उपकरणों में से कुछ का उल्लेख लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्य) 2009-10 के कंडिका 1.2.9 में किया गया, फिर भी यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि तीन साल से अधिक समय बीत

⁴⁸ \$39700 x 2x ₹ 46.81=₹ 37,16,714 |

⁴⁹ \$29400 x 2x ₹ 46.58=₹ 27,38,904 |

⁵⁰ यूरो 82574 x ₹ 66.10=₹ 54,58,141 |

⁵¹ 4 अक्टूबर 2012 को पद त्याग किया।

जाने पर भी लम्बी अवधि तक चलने वाले इन उपकरणों का बेकार पड़ा रहना जारी था (अप्रैल 2014)।

अतः अस्पताल भवन और सी.टी.भी.एस. शल्य चिकित्सा दल के अभाव में उपकरणों हेतु मांग पत्र देना और जल्दी आपूर्ति के लिए जोर देना, सुपर स्पेस्लीटी वाले अस्पताल भवन का पूरा न होना और सी.टी.भी.एस. शल्य दल को नहीं लगाये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के उपकरण तीन वर्षों से अधिक समय तक अधिष्ठापित नहीं किये जा सके, इसके फलस्वरूप मरीजों को सी.टी.भी.एस. शल्य चिकित्सा के लाभ देने से वंचित किया गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2013); उनके उत्तर स्मारपत्रों⁵² के बावजूद अप्राप्त थे (अप्रैल 2014)।

राँची,
दिनांक :

मृदुला सपू
(मृदुला सपू)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
दिनांक :


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁵² स्मार पत्र सं. रिपोर्ट(सिविल)/ए.आर./2012-13/124 दिनांक 19 अगस्त 2013, संख्या 219 दिनांक 19 सितम्बर 2013 और संख्या 306 दिनांक 21 अक्टूबर 2013।